कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्री केशिया किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम	विपक्षी श्री वक्ता व अन्य प्रकरण संख्या 66 / 2021

कार्यवाही विवरण

30/12/2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश मे नियत है। प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा साजनोत पटवार हल्का बुचेल तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 49 कुल किता 8 रकबा 1.48 हैक्टेयर कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा विपक्षीगण से इस भूमि का कोई लेना–देना नही है एवं विपक्षी जबरन इस पर कब्जा करने पर आमदा है जिससे आये दिन शान्तिभंग होने का अंदेशा बना हुआ है। जिससे मजबूर होकर प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णियक्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जावे प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी, अतिक्रमण, निर्माण नही करे। ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, परिजनो से करावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रकुमार चौहान हाजिर आये जिन्होने जबवा पेश कर अंकित किया कि मुझ विपक्षी वक्ता के पिता सासिया मीणा व प्रार्थी केशिया के पिता देवजी मीणा दोनों सगे भाई है तथा उक्त कृषि भूमि पैतृक होकर देवजी व सासिया के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो देवजी व सासिया के पिता की मृत्यु के बाद गलती से उक्त तमाम आराजीयात देवजी के बडे पुत्र होने के नाते अकेले देवजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई एवं मुझ विपक्षी के पिता सासिया एक अनपढ व्यक्ति होकर उन्हें इस बाबत का ज्ञान नहीं हुआ कि भूमि अकेले देवजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि पैतृक सम्पति होने से उक्त तमाम आराजीयात में 1/2 हिस्सा मुझ विपक्षी के पिता सासिया का कानूनन है। तथा विपक्षी के पिता सासिया के हिस्से की 1/2 भूमि पर हम विपक्षीगण वर्षो से काबिज हो काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में अकेले वादी केशिया के नाम उक्त तमाम आराजीयात दर्ज होने से प्रार्थी के मन में बदनियति आ गई है, जिससे प्रार्थी केशिया उक्त तमाम आराजीयात स्वयं ही हडपना चाहता है। प्रार्थी किसी भी तरह से उक्त आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

आदेशिका दिनांक 01–08–2023 को प्रार्थी को एक पक्षीय सुना जाकर प्रकरण मे विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। पत्रावली मे आदेशिका दिनांक 17–12–2024 को उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है तथा प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला

प्रार्थी श्री केशिया
विपक्षी श्री वक्ता व अन्य
किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम
प्रकरण संख्या 66 / 202

	कार्यवाही विवरण
	विपक्षीगण दखल करते है व कब्जा करते है अतः विपक्षीगण के विरूद्ध मूलवाद के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावे। अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी वक्ता के पिता सासिया मीणा व प्रार्थी केशिया के पिता देवजी मीणा दोनों सगे भाई है तथा उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि कृषि भूमि पैतृक होकर देवजी व सासिया के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो देवजी व सासिया के पिता की मृत्यु के बाद गलती से उक्त तमाम आराजीयात देवजी बडे पुत्र होने के नाते अकेले देवजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने बहस के दोरान विपक्षीगण द्वारा दिये गये तथ्यों के खण्डन मे कोई कथन नही किया एवं राजस्व रेकार्ड को आधार बताया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। **–::आदेश::–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत) उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)